



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/2767/वित्त-2/2021

भोपाल, दिनांक 12/3/2021

// एम्प्लॉयमेंट हेतु विज्ञापन //

भोपाल स्थित ऐसी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्मों से माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल के निम्नांकित कार्यों हेतु प्रथमतः वित्तीय वर्ष 2021-22 से आगामी तीन वर्ष के लिये दरें आमंत्रित की जाती हैं, जो आपसी सहमति से अधिकतम तीन वर्ष तक के लिए पुनः निर्धारित की जा सकेंगी। जिन्हें विभिन्न निगम/मण्डलों/बैंकों/जिला पंचायतों में कम से कम 10 वर्षों के अंकेक्षण का कार्यानुभव हो, एवं न्यूनतम वार्षिक टर्न-ओवर ₹20 लाख से अधिक हो। फर्म के पास कार्य सम्पादन हेतु पर्याप्त कर्मचारी होना चाहिए। फर्म के न्यूनतम एक प्रतिनिधि के द्वारा मण्डल मुख्यालय में प्रतिदिन उपस्थित रह कर चालानों के विवरण पत्रकों का परीक्षण, मण्डल खातों का टैली सॉफ्टवेयर में संधारण कार्य एवं रिकन्सिलेशन करना होगा।

- 1- चालान तथा एम.पी. ऑनलाईन/एनआईसी एवं अन्य माध्यमों से जमा होने वाली विभिन्न शुल्कों/आय का मिलान करना एवं इसके लेखा संधारण एवं रिकन्सिलेशन हेतु मण्डल को परामर्श प्रदान करना।
- 2- मण्डल का आय-व्यय पत्रक एवं बैलेंस शीट तैयार कर आयकर विभाग में रिटर्न फाइल करना।
- 3- मण्डल के विभिन्न खातों की टैली सॉफ्टवेयर दर्ज प्रविष्टियों की जांच कर एवं संधारित करना।
- 4- आयकर, वाणिज्य कर एवं जीएसटी सम्बन्धी प्रकरणों में परामर्श प्रदान करना एवं समयावधि में रिटर्न फाइल करना एवं मण्डल कार्यालय के आयकर विभाग/वाणिज्य कर विभाग/जीएसटी विभाग में पूर्व वर्षों के प्रकरणों से संबंधित पेशियों में उपस्थित होकर प्रकरण का निराकरण कराना एवं नवीन प्रकरणों में मण्डल का पक्ष प्रस्तुत करना।
- 5- भविष्य निधि, ग्रेज्युटी एवं पेंशन आदि फण्ड्स की व्यवस्था एवं संधारण हेतु परामर्श प्रदान करने, आधिक्य आय के उपयोग एवं मण्डल के वित्तीय हितों के संरक्षण सम्बन्धी परामर्श आदि।
- 6- उपरोक्त कार्य हेतु वार्षिक न्यूनतम दर ₹25,000/- (पच्चीस हजार मात्र) निर्धारित की जाती है।
- 7- वित्तीय वर्ष की आयकर विवरणी (बैलेंस शीट) तैयार कर आयकर रिटर्न जमा करने के उपरांत भुगतान कार्यवाही वार्षिक आधार पर की जावेगी। आयकर/वाणिज्य कर/जीएसटी कार्य से संबंधित विभागों में पेशी में उपस्थित होकर मण्डल का पक्ष प्रस्तुत करना/मण्डल को मार्गदर्शन प्रदान करना एवं माननीय न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों में मण्डल का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु (भोपाल से बाहर) पेशी में उपस्थित होने पर मण्डल के प्रथम श्रेणी अधिकारी की पात्रता अनुसार आने-जाने का रेल/बस किराया, दैनिक भत्ता एवं होटल सुविधा देय होगी।

इच्छुक फर्म सम्पूर्ण विवरण सहित दिनांक 30/03/2021 सांय 4.00 बजे तक अपनी दरें सील बन्द लिफाफे में विगत 3 वर्ष की बैलेंस शीट एवं वांछित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न कर सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल के नाम से वित्त अधिकारी के कक्ष में प्रस्तुत करें। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा। आवेदन मान्य करने/निरस्त करने का अधिकार मण्डल अध्यक्ष को रहेगा।

उक्त जानकारी मण्डल की वेबसाईट WWW.MPBSE.NIC.IN पर देखी जा सकती है।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल

मध्यप्रदेश भोपाल